न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 112 / 2019

1. हजारीलाल पुत्र हरलाल कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2. देवालाल पुत्र हरलला कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र चूना कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
2. सोहन पुत्र चूना कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ
5. भंवरलाल पुत्र बालू कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
6. रतनलाल पुत्र काना कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
7. भैरूलाल पुत्र काना कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ
8. कालूलाल पुत्र काना कुम्हार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण
श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :–18.06.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मौजा डेकडीखेडा पटवार हल्का राजगढ में स्थित होकर जिसकी आराजी नम्बर 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382 कुल कीता–23 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर भूमि स्थित हैजिसमें वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित होकर मौके पर कब्जेनुसार बंटवारा किया जावे व अन्य कोई दाद बहक सुलभ हो कराई जावें।

वादीगण का वादपत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन दिया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत ने अपना अधिकार प्रस्तुत करते हुए जवाव प्रतिवादीगण का प्रस्तुत किया गया साथ ही प्रवितादीगण की ओर से काउण्टरक्लेम भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। इस दावा पत्रावली में को राजस्व लोक अदालत शिविर राजगढ पर रखाया जाकर सभी पक्षो को सुना जाकर वादीगण का वादपत्र खारिज किया कर प्रतिवादीगण का काउण्टरक्लेम स्वीकार किया गया तथा वादपत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया:–

" अतः वाद वादीगण का खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का काउण्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाद वर्णित मौजा डेकडीखेडी पटवार हल्का राजगढ की आराजी नम्बर 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 382 कुल कीता–23 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर भूमि में वादीगण का हक हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या1 व 2 का हक हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 5,6,7 व 8 का हक हिस्सा 1/6 की घोषणा की जाती है तथा मौके पर कब्जेनुसार व हक हिस्सेनुसार बंटवारा किया जावें साथ ही आराजी नम्बर 364 में स्थित रास्ते को पूर्ववत कायम रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा पंजाब नेशनल बैंक का रहन हकनुसार पूर्ववत बदस्तूर रखा जावें। इस हेतु तहसीलदार बेगूँको 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री पालना हेतु तसीलदार बेगूँ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित की जावें।"

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक / राजस्व(कोर्ट)/ 2025/ 350 दिनांक 15.5.25 के साथ मौका रिपोर्ट फर्दबंटवारा रिपोर्ट व नक्शाट्रेस संलग्न प्रस्तुत किया गया। प्राप्त फर्द बंटवारा पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई, प्राप्त रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से दावा अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है।

दावा मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है। तथा वर्णित आराजीयात का प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है :–

(ए) हजारी देवीलाल पिता हरलाल कुम्हार सा.देह खातेदार हिस्सा बराबर:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
355	0.275
356	0.125
363	0.320
367	0.220

...म से	0.440 संलग्न नजरीनक्शानुसार
	0.070
...2	0.050
...51	0.160
369	
374म से	0.272 संलग्न नजरीनक्शाअनुसार

कीता—9 रकबा 1.892 हैक्टर

(बी) मांगीलाल सोहनलाल पिता चुना कुम्हार हि0 बं0 सा.देह खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
357	0.190
358	0.470
362	0.356
365	0.140
366	0.280
368	0.120
374म से	1.178 संलग्न नजरी नक्शा के
382	0.100

कीता—8 रकबा 2.834 हैक्टर

(सी) भंवरलाल पुत्र बालू हि0 1/2 रतनलला ,भैरूलाल कालूलाल पिता काना हिस्सा 1/2 हि0ब0 कुम्हार सा0देह खातेदार :—

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
359	0.260
360	0.070
370म से	0.050संलग्न नजरी नक्शा के
371	0.210
373	0.090
374म से	0.080 संलग्न नजरी नक्शा के
379	0.011
380	0.180

कीता—8 रकबा 0.951 हैक्टर

(सी) श्री हजारी देवालाल पिता हरलाल हि0 1/3 मांगीलाल, सोहनलाल पिता चुना हि0 1/2 भंवरलाल पुत्र बालू हि0 1/12 रतनलाल 1/6, भैरूलाल 1/2 कालूलाल पिता काना 1/36 जाति कुम्हार सा0देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी :—

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
355म से	0.015 रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
356म से	0.005 रास्ता
379म से	0.019 रास्ता
381	0.090 गै.मु.चाह
362म से	0.024 रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

कीता—4 रकबा 0.153 हैक्टर

विशेष अभिकथन— जमाबंदी में अंकित नाम भूवरलाल ,बालूलाल , श्रतनलाल को क्रमशः भंवरलाल रतनलाल विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित किया है। एवं भंवरला पिता बालू का हिस्सा कालूलाल विरासत हक हिस्सानुसार प्रस्तावित किया गया है जिससे सभी सहमत है।

उपरोक्तानुसार वर्णित कृषि आराजीयात का प्रतिवादीगण एवं वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मनीषा नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

बटवारे में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बर्नू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 112/2018

1. हजारीलाल पुत्र रतनलाल कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
2. देवीलाल पुत्र रतनलाल कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भूरा कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
2. सोहन पुत्र भूरा कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
3. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बर्नू
4. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]
5. मांगीलाल पुत्र बालू कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
6. भरतलाल पुत्र कना कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
7. भैरुलाल पुत्र कना कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू
8. कालूलाल पुत्र कना कुम्हार निवासी डाबड़ीखेड़ा तह0 बर्नू

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र आधा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त बिल्लू की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक [illegible] को पीठासीन अधिकारी समक्ष न्याय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बर्नू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा दावा विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

दावा मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है। तथा वर्णित आराजीयात का प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है :–

(ए) हजारी देवीलाल पिता रतनलाल कुम्हार साकिन खातेदार हिस्सा बराबर–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
355	0.275
356	0.125
363	0.320
367	0.220
370मि से	0.400 संलग्न नक्शेनजरीअनुसार
372	0.170
361	0.150
369	0.160
374मि से	0.272 संलग्न नक्शेनजरीअनुसार
कीता–9 रकबा	1.892 हैक्टर

(बी) मांगीलाल [illegible] पिता भूरा कुम्हार [illegible]

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
357	0.190
358	0.470
362	[illegible]
365	0.140
366	[illegible]
368	0.125
374मि से	[illegible]
382	[illegible]
कीता–8 रकबा	[illegible] हैक्टर

भैरुलाल पुत्र बालू हि0 1/2 रतनलला ,भैरूलाल कालूलाल पिता काना हिस्सा 1/2 हि0व0 कुम्हार सा0देह खातेदार :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
369	0.260
360	0.070
370में से	0.050संलग्न नजरी नक्शा के
371	0.210
373	0.090
374में से	0.080 संलग्न नजरी नक्शा के
379	0.011
380	0.180

कीता–8 रकबा 0.951 हैक्टर

(सी) श्री हजारी देवालाल पिता हरलाल हि0 1/3 मांगीलाल, सोहनलाल पिता चुना हि0 1/2 भंवरलाल पुत्र बालू हि0 1/12 रतनलाल 1/6, भैरूलाल 1/2 कालूलाल पिता काना 1/36 जाति कुम्हार सा0देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
355में से	0.015 रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
356में से	0.005 रास्ता
379में से	0.019 रास्ता
381	0.090 गै.मु.चाह
382में से	0.024 रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

कीता–4 रकबा 0.153 हैक्टर

विशेष अनिकथनः– जमाबंदी में अंकित नाम भूवरलाल, बाललाल, श्रतनलाल को कमशः भंवरलाल रतनलाल विभाजन प्रस्तावत में प्रस्तावित किया हे। एवं भंवरला पिता बालू का हिस्सा कालूलाल विरासत हक हिस्सानु अनुसार प्रस्तावित किया गया है जिसमें सभी सहमत है।

उपरोक्तानुसार वर्णित कृषि आराजीयात का प्रतिवादीगण एवं वादीगण का हिस्सा राजस्चव रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

दिनांक :– 23.6.25

क्रमांक/सरिश्ता/2025/448 व अनवान हजारी बनाम मांगीलाल वगै दावा अ0धा0 53 में अंतिम डिकी की प्रति दावा संख्या 112/2019 तहसीलदार बेगूं का पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं